रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2000/ज्येष्ठ 5, 1922
No. 112] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2000/JYAISTHA 5, 1922

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

## ( वाणिज्य विभाग )

## जांच शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2000

**विषय : सऊदी अरब, ईरान, जापान, यू एस ए तथा फ्रांस से कास्टिक सोडा के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।**

**सं० 56/1/99-डी. जी. ए. डी.**— मै0 भारतीय अल्कली विनिर्माता संघ (ए एम ए आई) ने घरेलू उद्योग की ओर से वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ(पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसमें आगे प्राधिकारी कहा गया है ) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें सऊदी अरब, ईरान, जापान, यू एस ए तथा फ्रांस से कास्टिक सोडा के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ।

1. **शामिल उत्पादः**

वर्तमान में याचिका में शामिल उत्पाद सऊदी अरब, ईरान, जापान, यू एस ए तथा फ्रांस से निर्यातित सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, जो सामान्यतः कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) । कास्टिक सोडा एक अकार्बनिक रसायन है तथा यह साबुन जैसा चिकना, शक्तिशाली क्षारीय गंधहीन रसायन है । कास्टिक सोडा का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसेः- लुग्दी एवं कागज के विनिर्माण, न्यूजप्रिंट, विस्कोस यार्न, स्टैपल फाईबर, अल्यूमिनियम, रूई, वस्त्र, टायलेट तथा धुलाई का साबुन, डिजर्जेन्ट, रंजक पदार्थ औषधि एवं भेषज, पेट्रोलियम शोधन इत्यादि । कास्टिक सोडा का उत्पादन दो रूपों, अर्थात क्षारीय तरल एवं ठोस रूपों में किया जाता है । वर्तमान जांच में कास्टिक सोडा के सभी रूप शामिल हैं ।

कास्टिक सोडा का वर्गीकरण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 में किया गया है । इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण (संगत वस्तु विवरण एवं कोडिंग प्रणाली के अनुसार) शीर्ष 2815.11 तथा 2815.12 के तहत भी वर्गीकृत किया गया है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के दायरे के लिए किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

2. **घरेलू उद्योग की हैसियतः**

यह याचिका घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय अल्कली विनिर्माता संघ द्वारा दायर की गई है । भारत में कास्टिक सोडा के 40 घरेलू विनिर्माता हैं । यह संघ भारत में कास्टिक सोडा के सभी घरेलू विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है । घरेलू उत्पादकों में से ग्यारह उत्पादकों द्वारा इस याचिका का स्पष्ट रूप से समर्थन किया गया हैः-

(i) मै० ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि०
(ii) मै० गुजरात अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स लि०
(iii) मै० मर्दिया कैमिकल्स लि०
(iv) मै० सर्च कैमिकल इंडस्ट्रीज लि०
(v) मै० डी सी डब्ल्यू लि०
(vi) मै० श्रीराम अल्कलीज एण्ड कैमिकल
(vii) मै० पंजाब अल्कलीज एंड कैमिकल्स लि०
(viii) मै० श्री रायलसीमा अल्कलीज एण्ड कैमिकल लि०
(ix) मै० आंध्र सुगरस लि०
(x) मै० एस आई ई एल लि०
(xi) मै० जयश्री कैमिकल्स लि०

इन याचिकाकर्त्ता कम्पनियों का उत्पादन संबद्ध वस्तु के उत्पादन का 47 % है और घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने का इनका आधार बनता है ।

3. **संबंधित देशः**

वर्तमान जांच मे शामिल देश सऊदी अरब, ईरान, जापान, यू एस ए तथा फ्रांस है ।

4. **समान वस्तुएं**

याचिकाकर्त्ता का कहना है कि उनके द्वारा उत्पादित माल, संबद्ध देशों में उत्पादित, वहां के मूल के या वहां से निर्यातित माल के समान वस्तुएं हैं । याचिकाकर्त्ता द्वारा उत्पादित माल को नियमावली के अर्थों के भीतर सम्बद्ध देशों से आयातित माल के समान वस्तुएं माना जा रहा है ।

5. **सामान्य मूल्यः**

याचिकाकर्त्ता ने सऊदी अरब, ईरान, जापान, यू एस ए तथा फ्रांस के मामले में कास्टिक सोडा के परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है । यू एस ए के

मामले में याचिकाकर्त्ता ने यू एस ए के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की प्रचलित कीमत से संबंधित साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं ।

6. **निर्यात कीमतः**

याचिकाकर्त्ता ने वर्ष 1998-99 तथा अप्रैल, 1999 से सितम्बर की अवधि के लिए सम्बद्ध वस्तु के निर्यात कीमत का दावा डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर किया है । याचिकाकर्त्ता ने पत्तन प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर भी सम्बद्ध देशों की निर्यात कीमत संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । कारखाना द्वार स्तर की कीमत निकालने के लिए समुद्री माल-भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अन्तराज्यीय परिवहन तथा निकासी एवं प्रेषण प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया गया है ।

7. **डम्पिंग मार्जिनः**

इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि सम्बद्ध वस्तुओं का सम्बद्ध देशों में सामान्य मूल्य, उस मूल्य से बहुत अधिक है जिस पर इसे भारत को निर्यात किया गया । इस बात से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि निर्यातकों द्वारा सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है ।

8. **क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

क्षति से संबंधित विभिन्न मानदण्ड जैसे निर्यात कीमत में गिरावट, बिक्री वसूली में गिरावट, घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में कमी तथा संबद्ध वस्तु की बिक्री से अच्छी एवं उचित कीमत वसूल करने में घरेलू उद्योग की विफलता समग्र तथा संचयी रूप से प्रथम दृष्ट्या बताते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण आर्थिक क्षति हुई है ।

9. **पाटनरोधी जांच का आरंभः**

उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, सम्बद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तुओं की कथित डम्पिंग होने, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटन-रोधी जांच आरंभ करते हैं ।

10. **जांच की अवधिः**

वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि अप्रैल, 1998 से सितम्बर 1999(18 महीने )तक की है ।

11. **सूचना देनाः**

सम्बद्ध देशों में निर्यातकों और भारत में आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे अपने विचार तथा संबंधित सूचना निर्धारित रूप में तथा निर्धारित ढ़ंग से निर्दिष्ट प्राधिकारी, भारत

सरकार, वाणिज्य विभाग, पाटनरोधी प्रभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेज दें । अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि की सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और निर्धारित ढ़ंग से जांच से संबंधित अभिवेदन दे सकती है ।

12. **समय-सीमा**

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी ।

13. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षणः**

नियम 6(7) के अनुसार रूचि रखने वाली कोई भी पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

14. यदि कोइ हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढ़ंग से जांच.में बाधा डालती है तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है ।

रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th May, 2000

**Subject: - Initiation of Anti-Dumping investigation concerning import of Caustic Soda from Saudi Arabia, Iran Japan ,USA and France.**

****

No. 56/1/99-DGAD.— M/s. Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) on behalf of the domestic industry has filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act,. 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) alleging dumping of Caustic Soda from Saudi Arabia, Iran, Japan ,USA and France and requested for anti dumping investigations and levy of anti dumping duties.